न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(नीलाभ सक्सेना, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपीलः 01/2019
दायर दिनांकः 09.01.2019
निर्णय दिनांक 12.07.2022

—:अनवान:—

1. श्री बद्रीलाल पिता रंगलाल चेचानी जाति महाजन उम्र 82 वर्ष निवासी केलवाडा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द
2. श्री माधवलाल पिता रंगलाल चेचानी (फौत)
   1. दिनेश चेचानी पिता माधवलाल चेचानी जाति महाजन उम्र 51 वर्ष निवासी केलवाडा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द
   2. योगेश चेचानी पिता माधवलाल चेचानी जाति महाजन उम्र 49 वर्ष निवासी केलवाडा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द
   3. प्रकाश चेचानी पिता माधवलाल चेचानी जाति महाजन उम्र 44 वर्ष निवासी केलवाडा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द
3. श्री श्यामलाल उर्फ श्याम सुन्दर पिता रंगलाल चेचानी जाति महाजन उम्र 68 वर्ष निवासी केलवाडा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द

—— अपीलार्थीगण

—:बनाम:—

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द

—— रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय तहसीलदार कुम्भलगढ़ नामान्तरकरण संख्या 1720 निर्णय दिनांक 02.07.1991

उपस्थितः—

1— श्री डालचन्द मेघवाल, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट

—::निर्णय::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। राजस्व ग्राम केलवाडा, पटवार हल्का केलवाडा, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द में आराजी संख्या 3586 रकबा 02 बिश्वा 10 बिस्वांशी भूमि बद्रीलाल, माधवलाल, श्यामलाल पिता रंगलाल महाजन निवासी केलवाडा के खातेदारी हक अधिकार की थी। उक्त भूमि को अपीलान्टस ने आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाया। जिसके संपरिवर्तन आदेश क्रमांक एफ 31—54 (राजस्व/91) दिनांक 19.04.1991 से नामान्तरकरण संख्या 1720 दिनांकं 02.07.1991 फैसल कर उक्त भूमि को आबादी बिलानाम दर्ज कर खातेदार का नाम जमाबंदी से हटा दिया गया। जो अवैध एव विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 1720 दिनांक 02.07.1991 को निरस्त किया जाकर अपीलांट्स का नाम खातेदार के रूप में अंकित करने का आदेश प्रदान कराया जावें।

अपील को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट तथा राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने बहस कथन में निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम केलवाडा, पटवार हल्का केलवाडा, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द में आराजी संख्या 3586 रकबा 02 बिश्वा 10 बिस्वांशी भूमि बद्रीलाल, माधवलाल, श्यामलाल पिता रंगलाल महाजन निवासी केलवाडा के खातेदारी हक अधिकार की थी। उक्त भूमि को अपीलान्टस ने आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाया। जिसके संपरिवर्तन आदेश क्रमांक एफ 31–54 (राजस्व/91) दिनांक 19.04.1991 से नामान्तरकरण संख्या 1720 दिनांक 02.07.1991 फैसल कर उक्त भूमि को आबादी बिलानाम दर्ज कर खातेदार का नाम जमाबंदी से हटा दिया गया। जो अवैध एव विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 1720 दिनांक 02.07.1991 को निरस्त किया जाकर अपीलांट्स का नाम खातेदार के रूप में अंकित करने का आदेश प्रदान कराया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, कुम्भलगढ द्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण विधिनुकूल होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी। बहस पर गहन मनन किया गया। तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित संपरिवर्तन आदेश क्रमांक एफ 31–54 (राजस्व/91) दिनांक 19.04.1991 की अनुपालना में राजस्व ग्राम केलवाडा, पटवार हल्का केलवाडा, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द में आराजी संख्या 3586 रकबा 02 बिश्वा 10 बिस्वांशी भूमि का रूपान्तरण किया गया। जिसे खातेदार के नाम के स्थान बीलानाम आबादी भूमि के रूप में दर्ज कर नामान्तरण स्वीकृत किया गया हैं। न्यायहित में प्रकरण में नामांतरण संख्या 1720 दिनांक 02.07.1991 को अपास्त कर पुनः नियमानुसार जॉच कार्यवाही की जाकर प्रकरण का नये सिरे से विधिक प्रक्रिया से निस्तारण किया जाना विधिसम्मत हैं।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निष्पादित नामांतरण संख्या 1720 दिनांक 02.07.1991 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार, कुम्भलगढ को प्रतिप्रेषित (Remand) कर आदेशित किया जाता है कि वे उपरोक्त ऑब्जरवेशन व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त नामांतरण के संबंध में विधिक प्रक्रियानुसार नये सिरे से नामान्तरण की कार्यवाही सम्पादित करें।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)